

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
अधिकारी:-सुनिता यादव, आर.ए.एस.

संख्या:-51/2018 प्रार्थना पत्र

श्रीलाश चन्द्र पिता शंकरलाल लखारा, उम्र बालिग निवासी महुआकंला तहसील भीलवाड़ा
हावीर पिता श्रवण नाई, उम्र बालिग निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
पुत्री श्रवण नाई, उम्र बालिग निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

---प्रार्थीगण

बनाम

खदेव पिता बद्रीलाल शर्मा, उम्र बालिग निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
शीलाल पिता बालूलाल शर्मा, उम्र बालिग निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
रमलेश पिता शंकरलाल लखारा, उम्र बालिग निवासी महुआकंला तहसील व जिला भील0
नहावीर पिता श्रवण नाई, उम्र बालिग निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
पुत्री श्रवण नाई, उम्र बालिग निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-.21.5.2018

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0
अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम महुआकंला पटवार हल्का महुआकंला
तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते/ संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1836 रकबा 02 बीघा
बिस्वा बीघा भूमि स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा
नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने
/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5.3.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर
प्रार्थीगण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काशत
होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में
उक्त प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते
अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण
कार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार
या जाकर ग्राम महुआकंला पटवार हल्का महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते/
संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1836 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता
कराई किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु
अभिलेख निरीक्षक महुआकंला को 300/-रुपये (अक्षरे:-तीन सौ रुपये मात्र.) कमिश्नर फीस पर
कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा
करने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील
पत्थरगढ़ी को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

तिलिपि:-तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने परनियमानुसार
पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा